हिन्दुस्तान
नई दिल्ली • शनिवार • 27 फरवरी 2016

चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क कम हो

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

चिकित्सा उद्योग जगत ने केंद्र सरकार से विदेशों से चिकित्सा उपकरण आयात करने पर लिए जा रहे शुल्क को कम करने की मांग की है। उद्योग जगत का कहना है कि चिकित्सा उपकरणों के मामले में देश का चिकित्सा तंत्र अभी विदेशों पर निर्भर है। ऐसे में शुल्क की बढ़ोतरी से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो सकती हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को लिखे पत्र में चिकित्सा उद्योग जगत की संस्था 'नाटहेल्थ' ने कहा कि हाल ही में उपकरणों के आयात सीमा शुल्क में 5 से 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो चिंताजनक है। अब चिकित्सा उपकरणों को मंगाने पर आयात शुल्क 18.94 फीसदी तक पहुंच गया है।

दूसरी तरफ, सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कल-पुर्जों के आयात पर शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। संस्था के महासचिव अंजन बोस ने कहा, यह ठीक है कि सरकार देश में ही चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन यह तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि इस समय भी 75 फीसदी उपकरण विदेशों से आ रहे हैं। जब तक उपकरणों के लिए भारत में कारखाने आदि नहीं लग जाते, तब तक आयात शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए।

2 नवभारत
पुणे /नाशिक
5 फरवरी, 2016

QUICK NEWS

स्वास्थ सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करें

पुणे. यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर नैटहेल्थ ने स्वास्थ रक्षा सेवाओं को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स अथवा जीएसटी के दायरे से बाहर करने के लिए सरकार के समक्ष पूर्व बजट सिफारिशों को पेश किया है. इस बारे में नेटहैल्थ के महासचिव अंजन बोस ने कहा कि एक बार जीएसटी का क्रियान्वन हो जाएगा, तब अनेक क्षेत्र सेवा कर के दायरे में आ जाएंगे. हेल्थकेयर अभी तक सेवा कर के दायरे से बाहर रहा है और यह स्थिति जीएसटी बिल को पारित होने के बाद भी कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहनी चाहिए और उसके बाद ही इस पर शुल्क आरोपित करने के विषय में सोचा जाना चाहिए. इसका निर्णय हेल्थकेयर कवरेज के स्टेटस के आकलन एवं प्रमुख हेल्थकेयर क्षेत्र में लागत व परफॉरमेंस के अनुशीलन के बाद ही लिया जाना चाहिए. स्वास्थ सेवाओं एवं सुविधाओं पर सेवा कर का आरोपण पीछे हटने का एक कदम होगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र को जीएसटी से छूट की मांग

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक शीर्ष निकाय ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने, एहतियाती स्वास्थ्य जांच पर कर छूट बढ़ाने तथा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा चिकित्सा नवप्रवर्तन कोष के गठन का आज अनुरोध किया। अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में हेल्थकेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जीएसटी से छूट से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

जीवनरक्षक दवा कीमतें नियंत्रण करने को बने नीति

फेडरेशन के सदस्य एवं फोर्टिस एस्काट्र्स हार्ट इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय निदेशक डा. सोमेस कुमार मित्तल ने कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के साथ विभिन्न क्षेत्र सेवा कर के दायरे में आ जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को फिलहाल सेवा कर से मुक्ति मिली हुई है और जीएसटी के अमल में आने के बाद भी कम-से-कम 10 साल तक यह स्थिति बनी रहनी चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य कवरेज, लागत आदि का आकलन करने के बाद सेवा कर लगाने के बारे में निर्णय किया जाना चाहिए। डा. मित्तल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं पर सेवा कर लगाना एक प्रतिगामी कदम होगा जिससे सभी को स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में लाने का एजेंडा प्रभावित होगा। प्रख्यात हार्ट सर्जन पद्मश्री डा. अशोक सेठ ने कहा कि सर्जरी की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार को स्टेंट व अन्य सर्जिकल उपकरणों व दवाओं की कीमतों में मरीजों को 40 फीसद तक छूट देने के पहल करनी चाहिए।